प्रेस नोट 28.01.2021

20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद, एक गिरफ्तार–

दिनांक 27.01.2021 थाना **घोसी** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मझवारा मोड़ के पास से विनोद कुमार यादव पुत्र दुर्योधन यादव निवासी नवापुरा सुरतापुर खास थाना युयुफपुर मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के कब्जे से 20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 58/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 15 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 28.01.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा रामकेश निवासी हरहिया थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़, मुनीब यादव निवासी श्रीरामपुर निवासी मधुबन, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा नन्हे, राकेश निवासीगण कटाईचवर थाना घोसी, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा धीरेन्द्र पाण्डेय, नर्मदेश्वर पाण्डेय निवासीगण फोफीगंज भाटपारा, सुशील रामप्रकाश, सुधाकर निवासीगण इटौरा चौबेपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा गोविन्द, कमलेश निवासीगण कोड़ा थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा छोटेलाल उर्फ पिन्टु, सूरज यादव निवासीगण बबुआपुर, रवि, छोटेलाल निवासीगण खानपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 28.01.2021 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले द्वारा डायल–112 के 18 दिवसीय फ्रेशर कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त किये 25 आरक्षी को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि डायल–112 के फ्रेशर कोर्स हेतु मऊ पुलिस लाइन में 18 दिवसीय फ्रेशर प्रशिक्षण कोर्स कराया गया था। जिसमें महिन्द्रा डिफेन्स सर्विस लिमिटेड कम्पनी द्वारा तकनीकी तकनीकी कौशल जिसमें एमडीटी संचालित करने के बारे में, संचार कौशल, महिला बच्चों व वरिष्ट नागरिक, बौद्धिक अशक्त व्यक्तियों सम्बन्धित, यातायात प्रबन्धनख् आपदा प्रबन्धन, अग्नि सुरक्षा, प्राथमिक उपचार कानुनी प्रावधान तनाव प्रबन्धन एवं वयस्क मनोविज्ञान के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया।

आज दिनांक 28.01.2021 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के क्रम मे पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन मे महिलाओ की स्कूटी रैली निकाली गयी जिसे ए0आर0टी0ओ0 मऊ श्रीमती कहकसा खातून और क्षेत्राधिकारी यातायात श्री धनन्जय मिश्र द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। जो गाजीपुर तिराहा, आजमगढ़ मोड़, बाल निकेतन, भीटी, पुरानी तहसील होते हुए पुनः गाजीपुर तिराहे पर आकर समाप्त हुयी। स्कूटी रैली का उद्देश्य स्कूटी चलाने वाली बालिकाओ एंव महिलाओ को यातायात नियमो का पालन करने हेतु जागरूक एंव जानकारी प्रदान करना रहा ताकि वाहन चलाते समय यातायात नियमो का पालन करे, सड़क दुर्घटनाओ पर अंकुश लगाया जा सके। दिनांक 21.01.2021 से 20.02.2021 तक चलने वाले माह के अन्तर्गत यातायात नियमो का पालन करने हेतु विगत 01 सप्ताह तक विभिन्न माध्यमो से जागरूक किया गया। अब जागरूकता के साथ-साथ यातायात नियमो का पालन न करने वाले वाहन स्वामी/चालक के विरूद्ध ओवर स्पीडिंग, नशे की हालात मे ड्राईविंग, रांग साईड ड्राईविंग, वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग, हेलमेट व सीट वेल्ट न धारण करने वाले वाहन चालको के विरूध्द अभियान चलाया जायेगा। यह कार्यवाही 20.02.2021 तक निरन्तर चलती रहेगी, ताकि पूर्व की अपेक्षा आगे सड़क दुर्घटनाओ मे कमी लायी जा सके एंव सड़क दुर्घटनाओ मे मृत्यू को कम किया जा सके। साथ ही अनुशासित रहकर यातायात नियमो का पालन करने हेतु वाध्य किया जा सके।